कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/7268 दिनांक: 14/08/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 48(II) "राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जायेंगे" के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक 6628 दिनांक 03.08.2023 द्वारा आवंटित में मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 2960 दिनांक 07.08.2023 एवं उप वन संरक्षक,वन्यजीव, राजसमंद के पत्रांक 7689 दिनांक 04.08.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार स्थापित किये जाने वाले पक्षी घर के स्थान में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रू. लाखो में)	पूर्व में प्रस्तावित स्थान	संशोधित स्थान
4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, नागौर	87.00	वर्ष 2022–22 में स्थापित लव कुश वाटिका	नर्सरी–खींवसर, रेंज–नागौर
4406–02–111 –02–00–16 लघु निर्माण कार्य	वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमंद	87.00	वर्ष 2022–23 में स्थापित लव कुश वाटिका	वर्ष 2023–24 में स्थापित लव कुश वाटिका नाथद्वारा रेंज नाथद्वारा

उक्त आंवटित बजट का उपयोग करते समय निम्न दिशा –निदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कार्यो को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023–24/विकास/प्रमुवस/ 7269 – 76 दिनांक: 14/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/वन्यजीव,उदयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, नागौर/वन्यजीव,राजसमंद।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान,जयपुर

D:\Users\USER\Desktop\Misc C 2023-24.docx